भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2011

सा.का.नि 394 (अ)- कार्बनिक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2011 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग--II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. 54(अ), तारीख 31 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 फरवरी, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

2. अतः अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्बनिक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2011 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कार्बनिक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2009 के नियम 14 में, -

   (i) उप-नियम (1) में “अपर सचिव” शब्दों के स्थान पर “संयुक्त सचिव” शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) उप-नियम (2) में “प्रतिनिधि” शब्द के स्थान पर “अपर सचिव” शब्द रखे जाएंगे ।

(फा.सं.-18011/1/2007-एम-II)

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव (विपणन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, (असाधारण) में सा.का.नि. सं0 534 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए ।